

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

लमस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के बान से ही किया जावे ज कि किसी अन्य पदाधिकारी के बान से।  
सम्बिळन विषय यह यहे पूर्व में पत्र व्यवहार कुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे समिता हो।



ग्राह : गूबीवडिंटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक:एफ/सञ्चाता/2009/ 5070

दिनांक: 26.6.12

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बल विकान्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेजमेंट, ग्वालियर (0751-2462500) को सत्र 2011-12 के लिये प्रक्षतावित/संचालित एम.बी.ए. पाठ्यक्रम कक्षा.गण्यक्रमों/टिएट्सों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्वर्गत बिन्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. एस.के. शुक्ला, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर। संयोजक) (0751-2442633)
- (2) डॉ. योगेश उपाध्याय, विभागाध्यक्ष, मैकेजमेंट अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- (3) डॉ. एस.के. सिंह, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, परोहर साधि, दांडिल शैक्षणिक/अशैक्षणिक टर्मोफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुप्रति प्रमाण-पत्र, अवग, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईवेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यथ प्रमाण पत्र के तथा प्रावार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक टर्मोफ की बिन्दुक्षियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित हरें। महाविद्यालय प्रावार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त विधारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तराधित निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई दौरी के लिए महाविद्यालय खबरं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह ने निरीक्षण बही कराता है तो समिति खबरं निरस्त हो जायेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड खरलप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात ही निरीक्षण समिति का पुर्वगत्व किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विभा खर्जों को प्रवेश देखा अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यात अधीक्षक, कार्यालय उद्योग पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वर्तुलियत से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे; निरीक्षण समिति के सदस्यों जो डी.ए. / डी.ए. / मानवदेव विश्वविद्यालय द्वाया देय होंगा।

*3mm/3*  
कुलसचिव

### प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु।
2. प्रावार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आगाह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विधारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

*PK*  
उप. कुलसचिव (सम्बद्धता)